बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0– प्र0–II / वृ0ख0 / 01 / 24–939 एम0, पटना, दिनांक–18/03/24

प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल, भा0प्र0से0,
निदेशक, खान।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
मेसर्स डालमिया (भारत) सीमेंट लि0,
ग्राम+पो0– बंजारी,
जिला– रोहतास।

विषयः– रोहतास जिलान्तर्गत मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लि0 द्वारा धारित छः चूना पतथर (लाईम स्टोन) खनन पट्टा के संबंध में।

प्रसंगः– खान आयुक्त न्यायालय, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक– 3758, दिनांक– 31.10.2019 एवं मेसर्स डालमिया (भारत) सीमेंट लि0 का पत्र दिनांक– 30.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि रोहतास जिलान्तर्गत मौजा–बंजारी, लेबुरा, कल्याणपुर, भरूही, सोहदाग एवं तिउराखुर्द तथा खुखमा, मजुराहा, गुरूर एवं बसाढ़ी में चूनापत्थर खनन पट्टा हेतु खान आयुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 31.10.2019 को पारित आदेश में सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्ति समर्पित करने हेतु एक वर्ष का समय दिया गया था। उक्त क्रम में आपके द्वारा सूचना दी गयी कि उपरोक्त चूनापत्थर खनन पट्टे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसेटिव जोन की परिधि में आने के कारण वैधानिक अनापत्ति के लिए सक्षम प्राधिकार को आवेदन समर्पित करना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही आपके द्वारा अभ्यारण्य की सीमा स्थानांतरित होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने का उल्लेख करते हुए सीमा निर्धारण होते ही अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–119 (ई0), दिनांक 29.02.2024 द्वारा 2225.02 हे0 वन क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–26 ए (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी से विलोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में निदेशानुसार कहना है कि खान आयुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–31.10.2019 को पारित आदेश के क्रम में एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–119 (ई0), दिनांक– 29.02.2024 के आलोक में सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्ति शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने में

P. T. O

खान आयुक्त द्वारा पारित आदेश में दिये गए समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना के निर्गत से एक वर्ष की तिथि निर्धारित की जाती है। (आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।)

विश्वासभाजन

निदेशक, खान
18/3/24

ज्ञापांक– 939 /एम0, दिनांक– 18/03/24

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, रोहतास/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान
18/3/24

ज्ञापांक– 939 /एम0, दिनांक– 18/03/24

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अशोक नगर, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान 18/3/24

ज्ञापांक– 939 /एम0, दिनांक– 18/03/24

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, खान 18/3/24

ज्ञापांक– 939 /एम0, दिनांक– 18/03/24

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, खान 18/3/24

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–II-वृ0ख0–01/24–756/एम0, पटना, दिनांक–07/02/2025

Email

प्रेषक,

विनोद दूहन, भा0प्र0से0
निदेशक, खान।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
मेसर्स डालमिया सिमेंट (भारत) लि0,
ग्राम+पो0–बंजारी, जिला–रोहतास।

विषयः– मेसर्स डालमिया सिमेंट (भारत) लि0 द्वारा धारित 6 चूना पत्थर खनन पट्टा के संबंध में।

प्रसंगः– आपका आवेदन Ref:01, दिनांक–25.01.2025 एवं आवेदन Ref:47, दिनांक–06.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में आपके द्वारा आवेदन Ref:01, दिनांक–25.01.2025 से आपके पक्ष में धारित छः चूना पत्थर खनन पट्टा की अवधि दिनांक–31.03.2030 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया। आपके द्वारा पुनः Ref:47, दिनांक–06.02.2025 से समर्पित आवेदन में पूर्व के अनुरोध के स्थान पर उपरोक्त खनन पट्टा संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने हेतु समयावधि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

पूर्व में विभागीय पत्रांक–939, दिनांक–18.03.2024 द्वारा खनन पट्टों के संचालन हेतु आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–119 (ई) के निर्गत होने की तिथि 29.02.2024 से एक वर्ष की अवधि अर्थात 28.02.2025 तक का समयावधि निर्धारित किया गया था। इस क्रम में आपके आवेदन Ref:47, दिनाक–06.02.2025 में वर्णित तथ्यों एवं अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त रोहतास जिलान्तर्गत आपके पक्ष में धारित छः चूना पत्थर खनन पट्टों के संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निदेशानुसार दिनांक–28.02.2025 से एक वर्ष का समय इस शर्त्त पर प्रदान किया जाता है कि प्रत्येक तीन माह पर की गयी कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह तथ्य परिलक्षित होने पर कि आपके द्वारा वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने हेतु की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई में जानबूझकर शिथिलता बरती जा रही है तो दिये गये समयावधि को रद्द करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

7/2/25

निदेशक, खान